

Title: Regarding relaxation of standards in matters of reservation in promotion for Scheduled Castes & Scheduled Tribes.

13.52 hrs.

श्री अशोक प्रधान (खुर्जा) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय सदन के ध्यान में लाना चाहता हूँ।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के नौकरियों में पदोन्नति पर आरक्षण में जो पिछली सरकारों के समय हुआ और उच्चतम न्यायालय की ओर से जो रोक लगाई गई, उसमें पांच आदेश जारी किये गये, उसके विषय में मैं सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूँ। पिछले दिनों अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सारे वर्गों में इस बात की बहुत चर्चा रही, लेकिन जब से हमारी यह सरकार आई है। आज इस समय मैं आदरणीय प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा और सरकार को धन्यवाद देना चाहूँगा कि पिछले सेशन के अन्दर एक फैसला लिया गया और सेशन में कहा गया कि इस सम्बन्ध में एक स्पेशल कन्वेंशन बुलाई जायेगी, एक अधिवेशन बुलाया जायेगा, जिसमें व्यापक रूप से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विषय में पूरी चर्चा होगी। वह सरकार ने पांच, छः और सात दिसम्बर को बुलाया। उसमें आदरणीय प्रधान मंत्री जी स्वयं आये, उन्होंने उसका उद्घाटन किया और उसके बाद बहुत ही अच्छे ढंग से एक मैसेज, एक संदेश पूरे देश में गया। प्रधान मंत्री जी ने खुद कहा

... (व्यवधान)

उस पर अमल हो रहा है।

आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने उस विषय में कहा कि हमारी सरकार और मैं इस विषय में गम्भीरतापूर्वक सोच रहे हैं। इसमें संविधान में हमें संशोधन करना पड़ेगा। हमारी सरकार उसमें संशोधन करेगी।

मैं सिर्फ यह कहना चाहूँगा कि वह व्यापक रूप से एक सर्वदलीय सम्मेलन था और सब ने उसमें चर्चा की है। उसमें सारी राजनीतिक पार्टियों के सदस्य थे। उसमें पूरी तरह इस पर चर्चा हुई है। आदरणीय प्रधान मंत्री ने उसमें समस्त रूप से कहा है, मैं उनके भाषण की दो लाइन पढ़ना चाहूँगा, 'अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के हितों को

...' (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री प्रधान, आप बैठ जाइये।

श्री अशोक प्रधान : मैं आदरणीय प्रधान मंत्री जी से सिर्फ यह गुजारिश करूँगा कि उस समय संविधान में संशोधन करने की जो बात थी, उस संविधान संशोधन को कब तक यहाँ ला रहे हैं, उसके विषय में दो शब्द कहें? यह सत्र कल खत्म हो रहा है। कल इस सेशन का आखिरी दिन है। मैं आदरणीय प्रधान मंत्री जी से कहूँगा कि कल तक इसकी घोषणा कर दें, जिससे कि पूरे देश में एक अच्छा संदेश जाये। यह सरकार इस बात को स्वीकार करे। धन्यवाद।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : इस पर देश में बड़ी-बड़ी रैलियाँ हुई हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को उड़ाया जा रहा है और ये संविधान में संशोधन की बात कर रहे हैं।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइये, प्रधान मंत्री जी रिप्लाई दे रहे हैं।

"> THE PRIME MINISTER (SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE): Mr. Speaker, Sir, hon. Members are aware that certain operational guidelines issued by the Department of Personnel and Training regarding reservation in Government jobs have created some discontent among the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes. These guidelines were issued by the then Government after certain pronouncements of the Supreme Court.

"> I would like to inform the hon. Members that, in pursuance of my assurance on the floor of the House in the 12th Lok Sabha, our Government has already taken steps for reviewing these guidelines.

"> In respect of one of the Office Memoranda, the Cabinet in its meeting held on 21st December, 1999, has approved the proposal to bring about a Constitutional Amendment Bill to incorporate a proviso to Article 335 of the Constitution with a view to enable the State to restore the relaxations of qualifying marks and standards of evaluation in matters of reservation in promotion for Scheduled Castes and Scheduled Tribes. It may be recalled that these relaxations had been withdrawn as per the instructions issued by the Department of Personnel and Training on 22.7.1997 in pursuance of the Supreme Court judgment dated 1.10.1996 in the case of S. Vinod Kumar Versus Union of India. I may also mention that the National Commission for Scheduled Castes and Scheduled Tribes was also consulted on this aspect and that the Commission has expressed its appreciation of the proposed amendment. The proposed Constitutional Amendment Bill will be introduced in the Parliament as early as possible.

"> The proposal to bring about another Constitutional amendment which would make it possible to clear the backlog of jobs through special recruitment in respect of Scheduled Castes and Scheduled Tribes is also at the final stage of consideration.

"> The Constitution Bench of the Supreme Court, in a recent judgment dated 16.9.1999, has reiterated its earlier judgments regarding the principle of fixation of seniority on promotion of Scheduled Caste and Scheduled Tribe employees. The legal and constitutional aspects of this judgment are under examination with a view to bring about a Constitutional Amendment to restore the seniority principle that was prevalent prior to these judgments.

"> Mr. Speaker, Sir, I would like to assure the House that this Government is committed to protecting the interests of Scheduled Caste and Scheduled Tribe employees and will take all possible steps for their upliftment.

">MR. SPEAKER: The House stands adjourned to meet again at 2.30 p.m.

">13.58 hours

"> The Lok Sabha then adjourned till thirty minutes

"> past Fourteen of the Clock.

"> ----

">1435 hours

"> The Lok Sabha re-assembled at thirty-five minutes

"> past Fourteen of the Clock.

"> (Shri Basu Deb Acharia in the Chair)

"> ... (Interruptions)